म.प्र. ऱोक पररसर (बेदखऱी) नियम, 1975

1. सॊक्षप्त नाभ

2. ऩरयबाषाएॉ

3. सूचनाओॊ के प्ररूऩ

4. सूचना ताभीर कयने की यीतत

5. जाॉच कयना

6. रॊबफत काभयवाहहमो का अन्तयण

7. रोक ऩरयसयों का कब्जा रेने की यीतत

8. नुकसानी का तनधायण

9. अऩीरो भे प्रक्रिमा

10. तनयसन

□

प्ररूऩ

“क

□

प्र
रू
न
“
ख
”

प्र
रू
न
“
ग
”

प्र
रू
न
“
घ
”

प्र
रू
न
'
'
ङ
'
'

प्र
रू
न
“
च
”

प्र
रू
न
“
छ
”

प्र
रू
न
“
ज
”

प्र
रू
न
“
झ
”

प्र
रू
न
“
ञ
”

म.प्र. ऱोक पररसर (बेदखऱी) नियम, 1975

क्र. एफ. 13 - 43 - 74 - दो - ए (3) भोपाऱ, 8 अप्रैऱ 1975 - - भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ 1974 (ि 46 सन् 1974) की धाया 18 द्वाया प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भे राते हुए याज्म सयकाय एतद् द्वाया तनम्नलरखखत तनमभ फनाती है अथायत् : -

1. सॊक्षिप्त ि‍ाम - - मे तनमभ **मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) नियम,** 1975 कहे जा सकेंगे

2. पररभाषाएॅ - - इन तनमभों भें जफ तक सॊदबय भें अन्मथा अऩेक्षऺत न हो –

(क) "अधधतनमभ" से अलबप्रेत है भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ 1974 (िभाॊक 46 सन् 1974);

(ख) "प्ररूऩ" से अलबप्रेत है इन तनमभों से सॊरग्न प्ररूऩ ।

3. सूचिाओॊ के प्ररूप - - अधधतनमभ के अधीन कोई सूचना सभुधचत प्रारूऩ भें से क्रकसी एक प्ररूऩ भें होगी ।]

4. सूचिा तामीऱ करि की रीनत - -2[(1) अधधतनमभ की धाया 6 की उऩधाया (1) मा धाया 7 की उऩधाया (1) मा (2) मा धाया 13 की उऩधाया (1) के अधीन जायी की गई सूचना की ताभीर उस व्मक्तत को क्जसके लरए वह आशतमत हो मा उसके ऩरयवाय के क्रकसी वमस्क सदस्म को उसकी एक प्रतत ऩरयदत्त कय मा ववहदत कय मा उसके प्रॊयलबक मा अक्न्तभ ाात तनवास मा कायफाय के स्थान ऩय अलबस्वीकृतत प्राप्त यक्जस्रीकृत डाक द्वाया एक ऩत्र बेजकय दी जाएगी ।

(2) जफ उऩतनमभ (1) के अधीन सूचना की प्रतत ऩरयदत्त मा तनववदत्त की जाए

(3) अधधतनमभ 1[............] धाया 6 की उऩधाया (1) मा धाया 7 की उऩधाया (1) मा (2) मा धाया 13 की उऩधाया (1) के अधीन जायी की गई सूचना के सॊफॊध भें जफ ऐसा व्मक्तत मा ऐसे व्मक्तत के ऩरयवाय का वमस्क सदस्म अलबस्वीकृतत ऩय हस्ताय कयने से इॊकाय कये मा जफ सभस्त सम्मक् तथा मुक्ततमुतत तत्ऩयता फयतने के ऩश्चात् बी ऐसा व्मक्तत ऩामा न जा सके औय ऐसे व्मक्तत के ऩरयवाय भें कोई वमस्क सदस्म न हो, तफ सूचना की एक प्रतत, ऐसे व्मक्तत के उस स्थान के, जहाॅ वह भाभूरी तौय से तनवास कयता हो, मा कायफाय के प्रातमक स्थान के फाहयी दयवाजे मा क्रकसी अन्म सहज दृश्म बाग ऩय धचऩका दी जाएगी औय उसकी सूचना की भूर प्रतत उस ऩय इस आशम की रयऩोटय , क्जसभें मह धचऩकाई गई हो, ऩृष्ठाॊक्रकत मा उऩाफद्ध कय उस सॊभ प्राधधकायी को रौटा दी जाएगी क्जसने सूचना जायी की हो ।

(4) (एक) महद अधधतनमभ की 1 [.... ....] धाया 7 की उऩधाया (1) मा (2) मा धाया 13 की उऩधाया (1) के अधीन जायी की गई सूचना की ताभीर उऩतनमभ (1) भें उऩफॊधधत यीतत से न की जा सके तो सॊभ प्राधधकायी, महद वह उधचत सभझे, मह तनदेश दे सकेगा क्रक ऐसी सूचना कभ से कभ एक ऐसे सभाचाय ऩत्र भें क्जसका उस ऩरयऺेत्र भें प्रसाय हो प्रकालशत बी कयवाएगा औय वह उस ऩरयऺेत्र भें डोंडी वऩटवाकय क्रकसी बी सूचना की अन्तवयस्तु को उद् घोवषत बी कय सकेगा ।

5. जाॅच करिा - - महद कोई व्मक्तत क्जस ऩय इस अधधतनमभ के अधीन

2[...........]

6. रोबबत कामयवाहहयो का अन्तरण - - (1) ऐसे क्रकसी व्मक्तत द्वाया क्जस ऩय इस अधधतनमभ के अधीन सूचना ताभीर की गई हो, आवेदन क्रकमा जाने ऩय औय महद वह सुनवाई कयाना चाहता हो तो उसकी सुनवाई के ऩश्चात् मा याज्म सयकाय मा इस सॊफॊध भें याजऩत्र भें अधधसूचना जायी कय याज्म शासन द्वाया ववशेष रूऩ से प्राधधकृत कोई बी याजऩबत्रत अधधकायी स्वप्रेयणा से क्रकसी बी प्रिभ ऩय क्रकसी सॊभ प्राधधकायी के सभ तनऩटाये के लरए रॊबफत क्रकसी बी कामयवाही को अन्तरयत कय सकेगा ।

(2) जफ उऩतनमभ (1) के अधीन कोई कामयवाही अन्तरयत की जाए , तफ स

7. रोक पररसरों का कब्जा रेिे की रीनत - - (1) महद अधधतनमभ के अधीन क्रकसी रोक ऩरयसय का कब्जा रेने भें कोई फाधा खड़ी की जाए मा सॊभ प्राधधकायी की याम भें फाधा खड़ी की जाने की सॊबावना हो, तो सॊभ प्राधधकायी मा इस सॊफॊध भें उसके द्वाया सम्मक् रूऩ से प्राधधकृत कोई बी अन्म अधधकायी ऩुलरस की आवश्मक सहामता तफ उस व्मक्तत के फजाम प्रतत इस प्रकाय प्रदत्त मा तन अलबप्राप्त कय सकेगा ।

(2) जहाॅ अधधतनमभ के अधीन क्रकसी रोक ऩरयसय का क्जसभें तारा रगा हुआ ऩामा जाए सकेगा तथा ऩरयसयों भें प्रवेश कय सकेगा :

ऩयन्तु - -

(1) सूमोंदम के ऩूवय मा सूमायस्त के ऩश्चात् क्रकसी बी रोक ऩरयसय भें प्रवेश नहीॊ क्रकमा जाएगा मा उसका कब्जा नहीॊ क्रकमा जाएगा ।

(2) जहाॅ रोक ऩरयसय को फरऩूवयक खोरा जाए तो दो साक्षऺमों की उऩक्स्थतत भें ऩरयसय भें ऩाई गई वस्तुओॊ की एक तालरका फनाई जाएगी ।

8. िुकसािी का निर्ारण - -क्रकसी रोक ऩरयसय के अप्राधधकृत उऩमोग तथा अधधबोग के कायण हुई नुकसानी का

तनधायण कयते सभम संभ प्राधधकायी तनम्नलरखखत फातों नय ववचाय कयेगा

(क) वह प्रमोजन तथा कारावधध, क्जसभें रोक ऩरयसय अप्राधधकृत अधधबोग भें थे;

(ख) ऐसे ऩरयसयों भें उऩरब्ध स्थान का प्रकाय, आकाय तथा स्तय;

(ग) महद ऩरयसय अप्राधधकृत अधधबोग की कारावधध भें, क्रकसी प्राइवेट व्मक्तत को क्रकयामे ऩय हदमा जाता, तो क्रकतना क्रकयामा वसूर क्रकमा जा सकता था;

(घ) अप्राधधकृत अधधबोग की कारावधध के दौयान ऩरयसयों को ऩहुॉचामा गमा कोई नुकसान;

(ङ) नुकसानी के तनधायण के प्रमोजन के लरए सुसॊगत कोई अन्म फात ।

9. अपीऱो मे प्रक्रक्रया - - अधधतनमभ की धाया 9 के अधीन की गई अऩीर लरखखत रूऩ भें होगी , उसभें क्जस आ

(2) अऩीर प्राप्त होने ऩय संभ प्राधधकायी के सभ हुई कामयवाही का अलबरेख भॊगाने औय उसका ऩरयशीरन कयने के ऩश्चात अऩीरी अधधकायी अऩीर की सुनवाई का स्थान तथा सभम तनमत कयेगा औय उसकी सूचना उस संभ प्राधधकायी को , क्जसके आदेश के ववरुद्ध अऩीर की गई हो , अऩीराथी को उ

10. निरसि - - भध्मप्रदेश गवनयभेंट वप्रभाइसेस (इववतशन) रूल्स, 1960 एतदद्वाया तनयलसत क्रकए जाते, हैं : ऩयन्तु इस प्रकाय तनयलसत तनमभों के अधीन की गई कोई बी फात मा की गई कोई बी कामयवाही, जफ तक ऐसी फात मा कामयवाही इन तनमभों के उऩफन्धों से असॊगत न हो , इन तनमभों के तत्मानी उऩफन्धों

प्ररूप "क"

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्र 46 सि् 1974)

अत: भुझे, अधोहस्ताऺयी को, मह जानकायी प्राप्त हुई है क्रक श्री/श्रीभती/कुभायी................ नीचे दी गई अनुसूची भें ववतनहदयषट रोक ऩरयसय का अप्राधधकृत अधधबोग कय यहे हो कय यही हैं औय , अथायत् : - मह क्रक उनकी उतत ऩरयसय से उतत अनुसूची भें हदए गए आधायों ऩय फेदखर कय हदमा जाना चाहहए । (2) अतएव, भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (क्रभाॊक 46 सन् 1974) की धाया 4 की उऩधाया (1) द्वाया प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए भैं एतदद्वाया उतत श्रीभती/कुभायी............... से तथा उन सभस्त व्मक्ततमों से, जो उतत ऩरयसय मा उसके क्रकसी बाग का अधधबोग कय यहे हैं मह अऩेऺा कयता हूॉ क्रक फहाने, (तायीख) को मा उसके ऩूवय मह कायण दशायएॉ क्रक प्रस्ताववत फेदखरी आदेश तमों न अॊततभ रूऩ से क्रकमा जाए । श्री/श्रीभती/कुभायी............... उतत दलशयत क्रकए जाने वारे कायण, महद कोई हों के सभथयन भें सबी साक्ष्म ऊऩय ववतनहदयषट की गई तायीख को मा उसके ऩूवय प्रस्तुत कयें ।

अनुसूची बाग (क) रोक ऩरयसय बाग

तायीख...... सन्....

....

संभ प्राधधकायी के हस्ताऺय तथा भुद्रा

[1]

[प्ररूप "ख"]

[ववरोवऩत]

प्ररूप "ग"

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, की र्ारा 4 (1) के अर्ीि आदेश

1974 (क्रमोंक 46 सि् 1974)

श्री/श्रीभती/कुभायी..................................
....

अत: तायीख................... को आऩको नीचे दी गई अनुसूची भें वखणयत रोक ऩरयसयों से, क्जसके आऩ अप्राधधकृत रूऩ से अधधबोगी थे, फेदखर कय हदमा गमा था ।

अतएव भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभोंक 46 सन् 1974) की धाया 6 की उऩधाया (1) द्वाया भुझे प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए भैं, एतदद्वाया, आऩको मह सूचना देता हूॉ क्रक आऩ इस सूचना की ताभीर के चौदह हदन के ऩश्चाण उतत ऩरयसय ऩय

जफक्रक आऩके द्वाया देम क्रकसी क्रकयाए, नुकसान, खचे का फकामा उतत चौदह हदन की कारावधध के बीतय सौंदाम कय दें ।

तायीख.......................

प्ररूप “घ”

मध्यप्रदेश ऱोक परररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्रमोंक 46 सि् 1974) की र्ारा 7 की उपर्ारा (3) के अर्ीि सूचिा

प्र
त
त

श्री
/
श्री
भ
ती
/
कु
भा
यी
.
.

....

के अर्ीि सूचिा का प्ररूप

अत: आऩ नीचे दी गई अनुसूची भें वखणयत रोक ऩरयसय के अधधबोगी हैं/थे, औय मत: रु. की यालश, जो क्रक उतत ऩरयसय के सौंफोध भे तायीख.... 19..... से तायीख............... 19..... तक (क्जसभें दोनों हदन शालभर हैं) के क्रकयामे की फकामा है औय जो आऩके द्वाया शासन को सौंदेम है ।

अतएव, अफ भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभोंक 46 सन् 1974) की धाया की उऩधाया (3) के अनुसयण भें भैं, एतद्द्वाया आऩसे मह अऩेंा कयता हूॉ क्रक आऩ तायीख........... को मा उसके ऩूवय कायण दशायएॉ क्रक आऩको उतत क्रकयामे की फकामा का सौंदाम कयने की अऩेंा कयने वारा आदेश तमों न हदमा जाए|

प्ररूप "ङ"

मध्यप्रदेश ऱोक परररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्रमोंक 46 सि् 1974) की र्ारा 7 की उपर्ारा (1) के अर्ीि आदेश की प्ररूप जो क्रक सम्नवत्त हटाए आने था रोक

प्रतत,
श्री/श्रीभती/कुभायी.......
....
....

मत: आऩ नीचे दी गई अनुसूची भें वखणयत रोक ऩरयसय के अधधबोगी हें / थे, औय मत: लरखखत सूचना तायीख........... द्वाया आऩसे अऩेंा कीी गई थी क्रक आऩ तायीख................ को मा उसके ऩूवय कायण दशायएॉ क्रक आऩको उतत ऩरयसय के सौंफोध भें सौंदेम क्रकयामे के रूऩ भें............... रूऩमे की यालश का सौंदाम कयने की अऩेंा कयने वारा आदेश तमों न हदमा जाए,

औय मत: भैने आऩका आंेऩ तथा आऩके द्वाया ऩेश क्रकए गए साक्ष्म ऩय ववचाय क्रकमा है । औय मत: आऩने उतत तायीख को मा उसके ऩूवय कोई आंेऩ नहीी क्रकमा है मा कोई साक्ष्म प्रस्तुत नहीी क्रकमा है ।

अतएव अफ भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभोंक 46 सन् 1974) की धाया 7 की उऩधाया (1) के द्वाया प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए भैं, एतदद्वाया आऩसे मह अऩेंा ' कयता हूॉ क्रक आऩ तनम्ऩानुसाय............. रु. (...............................) की यकभ का सौंदाम कयें : -

महद उतत यकभ का सौंदाम उतत कारावधध के बीतय मा उतत यीतत से न क्रकमा गमा तो उसकी वसूरी बी बू- याजस्व की फकामा की बाौंतत की जाएगी ।

तायीख....................

.... संभ
प्राधधकायी के हस्तांय तथा भुद्रा

प्ररूप “च”

मध्यप्रदेश ऱोक परररसर (बेदखऱी) अधर्नियम,

1974 (क्रमाॊक 46 सि् 1974) की ृ्ारा 7 की उपर्ारा (2) के अर्ीि सूचिा

प्र त त श्री / श्री भ ती / कु भा यी . . . .

मत: भैं अधोहस्ताॊयी इस फात से भेया सभाधान कयता हूॉ क्रक आऩ नीचे दी गई अनुसूची भें उक्ल्रखखत रोक ऩरयसय के अप्राधधकृत रूऩ से अधधबोगी हैं/थे ।

औय मत: भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभाॊक 46 सन् 1974) की धाया 7 की उऩधाया (2) द्वाया भुझे प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए भैं मह सभझता हूॉ क्रक उतत ऩरयसय के अप्राधधकृत उऩमोग तथा अधधबोग के भद्धे नीचे दी गई अनुसूची दो भें दशायमी गई कारावधध (कारावधधमो) के लरए तथा दय (दयों) ऩय....... रु. की नुकसानी आऩके द्वाॉया देम है जाए ।

तायीख..........

.... संभ

प्राधधकायी के हस्ताॊय तथा भुद्रा

प्ररूप “छ”

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्रमाॊक 46 सि् 1974) की ृ्ारा 7 की उपर्ारा (2) के अर्ीि आदेश का प्ररूप

प्रतत,

श्री/श्रीभती/कुभायी...

मत: भैं अधोहस्ताॊयी इस फात से भेया सभाधान कयता हूॉ क्रक आऩ नीचे दी गई अनुसूची भें उक्ल्रखखत ' रोक ऩरयसय के अप्राधधकृत रूऩ से अधधबोगी है/थे,

औय मत: तायीख............... की लरखखत सूचना द्वाया आऩसे तायीख.............. .को मा उसके ऩूवय मह कायण दशायने की अऩेॊा की गई थी क्रक आऩको उतत ऩरयसय के अप्राधधकृत उऩमोग तथा अधधबोग के लरए..... रुऩमे की नुकसानी का सॊदाम कयने की अऩेॊा कयने वारा आदेश तमों न हदमा जाए,

मत: भैने आऩके द्वाया प्रस्तुत क्रकए गए आॊेऩ तथा साक्ष्म ऩय ववचाय क्रकमा है औय मत: उतत तायीख के ऩूवय आऩने कोई आऩवत्त प्रस्तुत नहीॊ की है अथवा कोई साक्ष्म प्रस्तुत नहीॊ क्रकमा गमा है ।

अत: अफ भैं, भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) -अधधतनमभ की धाया 7 की उऩधाया (2) द्वाया भुझे प्रदत्त शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए, एतदद्वाया, आऩको आदेश देता हूॉ क्रक आऩ उतत ऩरयसय के आऩके द्वाया क्रकए गए अप्राधधकृत अधधबोग के लरए नुकसानी के रूऩ भें भेये द्वाया तनधायरयत.............. .रुऩमे की यालश का........... रु. की सभान क्रकश्तों भें................ भाह के बीतय सॊदाम कय दें ।

आऩके द्वाया उतत कारावधध के बीतय अथवा ऩूवोतत यीतत से नुकसानी अथवा उसकी क्रकसी बी क्रकश्त के सॊदाम से इॊकाय कयने मा उसभें असपर यहने की दशा भें बू-याजस्व के फकामा की बाॉतत वसूर की जाएगी ।

तायीख.................

.... संभ

प्राधधकायी के हस्ताॊय तथा भुद्रा

प्ररूप “ज”

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम,

1974 (क्रमॊंक 46 सि् 1974 की र्ारा 12 के अर्ीि हदए जािे वाऱे आदेश का प्ररूप

प्रतत,
श्री/श्रीभती/कुभायी..................

मत: मह ववश्वास कयने का कायण है क्रक इससे उनाफद्ध अनुसूची भें वखणयत रोक ऩरयसय कततऩम व्मक्ततमों के अप्राधधकृत अधधबोग भें है,

अतएव, भैं संऩ प्राधधकायी............................ की अधधसूचना के साथ भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभॊक 46 सन् 1974) कीी धाया 12 द्वाया प्रण शक्ततमों को प्रमोग भें राते हुए एतदद्वाया मह अनेि कयता हूॉ क्रक आऩ तायीख...............को मा उसके ऩूवय इससे उनाफद्ध अनुसूची दो भें ववतनहदयषट प्ररूऩ भें जानकायी दें ।

तायीख...............

.... संऩ
प्राधधकायी के हस्ताऺय तथा भुद्रा अथवा संऩ प्राधधकायी द्वाया प्राधधकृत अधधकायी के हस्ताऺय

प्ररूप "झ"

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्रमॊंक 46 सि् 1974) की र्ारा 14 के अर्ीि संम प्राधर्कारी द्वारा कऱेक्टर,.............. को प्रमाण-पत्र

प्रभाखणत क्रकमा जाता है क्रक श्री.........................
तनवासी.......................

क्रकयामा/नुकसानी/अऩीर के खचे के भदे याज्म शासन को............... रुऩमे की यकभ शोध्म है । भध्मप्रदेश रोक ऩरयसय (फेदखरी) अधधतनमभ, 1974 (िभॊक 46 सन् 1974) की धाया 14 के अनुसयण भें, भैं....... .संऩ प्राधधकायी आऩसे अनुयोध कयता हूॉ क्रक आऩ से बू-याजस्व के फकामा की बॉतत वसूर कयने की कामयवाही कयें ।

तायीख...............

.... संऩ
प्राधधकायी के हस्ताऺय तथा भुद्रा

प्ररूप "ञ"

मध्यप्रदेश ऱोक पररसर (बेदखऱी) अधर्नियम, 1974 (क्रमॊंक 46 सि् 1974) की र्ारा 13 की उपर्ारा (2) के अर्ीि सूचिा

प्रतत,
श्री/श्रीभती/कुभायी.................................

मत: श्री............................ (अफ भृत) नीचे दी गई अनुसूची भें वखणयत रोक ऩरयसय के अधधबोगी/अप्राधधकृत अधधबोगी थे ।

मत: उतत ऩरयसय के सॊफॊध भें भैं तायीख............... 19..... से तायीख............... 19... तक की क्रकयामे / नुकसानी की फकामा के रूऩ

भें................ रु. की यकभ
श्री........................ द्वाया याज्म शासन को
सॊदेम हो गई थी ।
औय मत: आऩ भृत
श्री................................ के...
.... वारयस / ववधधक
प्रततततनधध हैं ।
अत: अफ उतत अधधतनमभ
की धाया 13 की उऩधाया (2) के
अनुसयण भें, भैं एतद्द्वाया आऩसे मह
अऩे ा कयता हूॉ क्रक आऩ
तायीख................ को मा उसके ऩूवय
कायण दशायएॉ क्रक आऩको
क्रकयामे/नुकसानी की उतत फकामा का
सॊदाम कयने की अऩे ा कयने वारा
आदेश तमों न हदमा जाए ।
तायीख................

....
....
.... संभ
प्राधधकायी के
हस्ता य तथा
भुद्रा